

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कुरुद, जिला-धमतरी(छ.ग.)

// आदेश //

कमांक /

/अविअ/वा.-1/2025

कुरुद, दिनांक /05/2025

रा.प्र.क. 20250513050030/अ-62/2024-25

वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त स्थल जांच सह पंचनामा दिनांक 14/08/2024 के अनुसार आवेदक हरीराम निषाद पिता तिहारू राम निषाद, जाति केंवट, निवासी ग्राम मोहरेंगा, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा काश्तग्राम मोहरेंगा, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1403/2 रकबा 0.060 हे. में रोपित 50 नग सागौन वृक्षों को छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 प्रकरण वृक्ष कटाई नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण पश्चात् निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

- 1-वृक्ष की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कटाई जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जावेगा।
- 2-वृक्ष की कटाई केवल उक्त भूमि पर रोपित वृक्षों तक सीमित रहेगी स्वाभाविक रूप से उगे वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 3-काटे गये प्रत्येक एक-एक वृक्षों के बदले 10-10 कुल (कम से कम 4 फीट की उंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष कांटी जावेगी के नजदीक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा, यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नहीं मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।
- 4-अनुमति दिनांक से वन विभाग अपने सुपुर्द में लेकर तत्काल आगामी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि अनुमति पश्चात् वृक्षों का अवैध विदोहन न हो सके।
- 5-यदि 50 नग वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की जाती है तो उनके विरुद्ध इस कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सके।
- 6-अनुमोदन दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कटाई पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 7-यदि कटाई निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
(यह अनुमति प्रचलित परिपत्र एवं शासन के वर्तमान निर्देश के परिपालन में दी जाती है।)

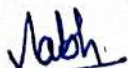


कमांक /
प्रतिलिपि:-

/अविअ/वा.-1/2025


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)
कुरुद, दिनांक /05/2025

1. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल धमतरी को आदेश तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. नायब तहसीलदार करेलीबड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. आवेदक हरीराम निषाद पिता तिहारू राम निषाद, जाति केंवट, ग्राम मोहरेंगा, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मोहरेंगा, विकास खण्ड मगरलोड, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)
कुरुद, दिनांक /05/2025